संस्कृति विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण **णुद्धि पत्न** ई दिल्ली, 28 जून, 1996 परातत्व

सा. का. नि. 291.—दिनांक 22 जुलाई, 1995 को भारत के राजपत्र के पृष्ठ 1667—1675 पर प्रकाणित भारत भरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (संस्कृति विभाग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दिनांक 10 जुलाई, 1995 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 345 की दूसरी श्रनुसूची के दूसरे कालम में दिए गए "कम सं. 39 मध्य प्रदेश, "निमाय" (पूर्व), बुरहानपुर, श्रादिल णाहफा की का मकबरा, संपूर्ण शब्दीं को, "कम सं. 39, मध्य प्रदेश, निमाड (पूर्व), बुरहानपुर फोर्ट (णाही किला) में स्थित महल पढ़ा जाए"।

> [फा० मं. 9/6/94—एम] ए. सी. ग्रोबर, निदेणक (प्रणासन)

DEPARTMENT OF CULTURE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th June, 1996

ARCHAEOLOGY

G.S.R. 291.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Culture Archaeological Survey of India No. G.S.R. 345 dated the 10th July, 1995, published in the Gazette of India dated 22nd July, 1995 published at pages 1667—1675, in the Second Schedules, in the second column for "S. No. 39 in Modhya Pradesh Nimar (east), Burchanpur, Tomb of Adil Shah Paruki, Whole" read "Sl. No. 39, in Madhya Pradesh, Nimar (east), Burhanpur, Palace situated in the Fort (Shahi Qila)".

[F. No. 9/6/94-M]

A. C. GROVER, Director (Admn.)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुन, 1996

सा.का.नि. 292.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए निडी हाडिश मेडिकल कालेज और श्रीमती सुनेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) के पद (जिसे इसके पश्चात उक्त पद कहा गया है) पर भर्ती पद्धति का विनियमन करते हुए निस्तिलिखित नियम बनाते हैं, श्रर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी श्रस्पलाल, नई दिल्ली महायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) भर्ती नियम, 1996 है।
 - (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवस्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :– उक्त पदों -की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों के उपावढ़ उक्त श्रनुसूची के स्तम्भ – 2 से -4 में विनिर्दिष्ट है ।
- 3. भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा और श्रन्य श्रर्हताएं श्रादि :-- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा, ग्रर्हताएं और उससे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगी जो उक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ 5 सें 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता: वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या श्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति में विवाह किया है, उक्त पद पर नियक्ति का पात नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के श्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के श्रधीन श्रन्त्रेय है और ऐसा करने के लिए श्रन्य श्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा ब्रावश्यक है या समीचीन है, वहां वह उससे लिए जो कारण है उन्हें लेखबढ़ करके इन नियमों के किसी उपवन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, ब्रादेण द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :-- इन नियमों की कोई बात, ऐसे ग्रारक्षणों, श्रायु-सीमा में छूट और श्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए श्रादेशों के श्रनुसार श्रनुसूचित जातियों, श्रनसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सनिकों और श्रन्य विणेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना श्रपेक्षित है। 1593 GI/96—5

ग्र न् सूची							
पद्यकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद श्रथवा श्रचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के प्रधीन प्रनुशेय है या नहीं	सीघे भर्ती किए जाने वार व्यक्तियों के लिए श्रायु- सीमा	
1	. 2	3	4	5	6	7	
सहायक रजिस्ट्रा र	1 (एक)* 1996 *कार्यभार के प्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	मामान्य केन्द्रीय नेवा समूह 'ख' 'राजपतित/ग्रननु- सचिवीय	2000-60- 2300-75- 3200-100- 3500 रुपये	लागृ नहीं	लागू नहीं	श्रधिकतम 30 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए श्रनुदेशों या श्रादेशों के श्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	
						टिप्पण :- श्रायु सीमा अव धारित करने के लिए निर्णायक सारीख भारत में रहने वाले श्रध्यधियों र उनसें भिन्न जो श्रसम मेघालय, श्रष्टणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर, नागालैण्य त्रिपुरा, सिदिकम जम्मू र	
						कम्मीर, राज्य का लहार डिवीजन, हिमाचल प्रदेष का लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले वे पांगी सब डिवीजन, अंडमार और निकोबार द्वीप समृह श्रथवा लक्षद्वीय में रहते	
				- 		श्रवन स्वक्षिण में रहत हैं। (भ्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए गैक्षिक और ग्रन्य ग्रहेंताएं			-	वाले व्यक्तियों शैक्षिक निवशा में लागू होगीया	परिवीक्षा की भ्रवधि यदि नहीं कोई हो ।		
8			, , , , , , , , , , , , , , ,	9		10	
न्त्रनिवार्यः (1) किसी मान्य ग्रथवा समकक्ष		विद्यालय से डिग्री		लाग् नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	
(2) किसी विश्व परीक्षाएं और वर्ष का श्रनुभ	दाखिले आयो	क संस्थान में जित करने का 3					

टिप्पण : 1 अन्यथा सूयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार णिथिल की जा सकती

2. श्रनुसूचित जाति/श्रनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में श्रनुभव में संबंधित श्रर्हता/श्रर्हताएं संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेक पर शिथिल की जा सकती हैं/है यदि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन श्रायोग की यह राय है कि इन समुदायों में श्रपेक्षित श्रनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनिय्क्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें प्रल्पकालिक ग्रनुबंध शामिल है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : ऐसे श्रधिकारी जो इन नियमों के श्रधिसूचित होने की तारीख को नियमित श्राधार पर सहायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) के पद पर कार्यरत हैं प्रारंभिक गठन में इस पद पर नियुक्त हुए माने जाएंगे।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें प्रत्यकालिक अनुबंध शामिल है) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त श्रन्संधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धसरकारी, स्वायत्त श्रथवा साविधिक संगठनों के अधीन कार्यरन ऐसे श्रधिकारी:

12

- (क) (i) जो नियमित श्राधार पर सदुण पद पर कार्यरत हैं, ग्रथवा
 - (ii) जिन्होंने 1640 2900/~ रुपये श्रथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है, श्रथवा
 - (iii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपये श्रथवा सम-कक्ष वेतनमान वाले पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है, फ्रीर
- (ख) जो कालम 8 के श्रन्तर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक श्रहेनाएं श्रॉर श्रनभव रखते हैं।

(प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के इसी श्रथवा किसी अन्य मंगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी श्रन्य सवर्ग बाहय पद पर प्रति-नियुक्ति/ग्रनुबंध की ग्रवधि शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (जिसमें श्रत्पकालिक श्रन्बंध गामिल है) के लिए श्रायु-सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की श्रंतिम तारीख को ग्रधि-कतम 56 वर्ष होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा फ्रायोग से लिया जाएगा।

प्रत्येक ग्रवसर पर संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए)

श्रावण्यक है।

ग्रपर महानिदेशक/उप महानिदेशक

-ग्रध्यक्ष

2. निदंशक (प्रशासन एवं सतर्कता)

–मदस्य

...

3. प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा श्रधीक्षक

-सवस्य

4. उप निदेशक प्रशासन (ग्रम्पताल)

--मदस्य

टिप्पणी: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पूष्टि के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदनार्थ आयोग को भेजी जाएगी। तथापि यदि श्रायोग द्वारा इन्हें श्रनुमोदित नहीं किया जाता तो संघ लोक सेवा ग्रायोग के प्रध्यक्ष ग्रयवा किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नित समिति को बैठक पुनः ग्रायोजित की जाएगी ।

> [सख्या ए- 12018/3/93-श्रार, ग्रार, /एम. ई. (यू. जी.)] श्रार , रामामृति, डैस्क श्रधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

New Delhi, the 26th June, 1996

G.S.R. 292,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar (Academic) in the

Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (hereinafter referred to as the said post).

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi [Assistant Registrar (Academic)] Recipitment Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
- 4. Initial Constitution.—(1) The Officer holding the post of Assistant Registrar (Academic) on regular basis in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital. New Delhi on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed at the initial Constitution stage to the said post.

- (2) The regular continuous service of officer mentioned in Sub-rule (1) prior to his appointment to the said post at the Initial Constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax,-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons,
- 7. Saving .-- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Exservicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selec- tion post or non-selection post	
2	3	4	5	
I (One)* 1996 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted/ Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-75-3200- 100-3500.	Not applicable	
	2 I (One)* 1996 *Subject to variation dependent on	2 3 I (One)* General Central Service 1996 Group 'B' Gezetted/ "Subject to variation dependent on	post 2 3 4 I (One)* General Central Service Rs. 2000-60-2300-75-3200-1996 Group 'B' Gazetted/ 100-3500. *Subject to Variation dependent on	

vice in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or

[माग 11— खंड ३ (i)]	भारत का राजपत्त . जुलाई 13, 1996/सापाद 22, 1918 1462						
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for dire	et recruits	Educational and other qualifications for direct recruits				
6	7		8				
Not applicable	5 years in accord	vears. vernment servants upto lance with the instruc- ssued by the Central Go-	Essential: (1) Degree from a recognised University or equivalent. (2) Three years' experience of conducting examinations and admissions in a University/Educational Institutions.				
	Note: The curcial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Note 1: Qualifications are relexable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castos or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be aveilable to fill up the vacancies reserved for thom. Desirable: Master's Degree from a recognised University or equivalent.				
Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotess	Period of pro- betion, if any	Method of recruitment whether by direct recritment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promo- tion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputa- tion/transfer to be made			
9	10 11		12				
Not applicable	2 years for direct recruits	Transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment. Note: Officers holding the post of Assistant Registrar (Academic) on regular basis on the date of notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post at the initial Constitution.		Transfer on deputation (including short-term contract): Officer under the Central (State Governments/Universities/Re cognised Research Institutes, Public Sector Undertakings/Semi Government Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular ser-			

12

- (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300-2600 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
 - (period of deputation/contract including period of deputatation/contract in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.
- The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation :

- 1. Additional Director General/Deputy Director General-Chair-
- 2. Director (Administration and Vigilance -Member.
- 3. The Principal and Medical Superientendent-Member.
- 4. Deputy Director Administration (Hospital —Member.

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Commission relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Consultation with Union Public service Commission necessary on each occassion.

> [No. A. 12018/3/93-RR/ME(UG)] R. RAMAMURTHY, Desk Officer

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुन, 1996

मा .का .नि . 293 --- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समाज कल्याण विभाग (पुस्तकाल्याध्यक्ष)भर्ती नियम, 1976 की उन बातों के मिवाय अधिकान्त करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिकारण से पहले किया